

पर्चा डिक्री
गायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 339/2015

नवान :-

1. बलवीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

बनाम

वादी

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र हरवंश सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपरिस्थिति :- श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द वादी
श्री जे०एन० शर्मा प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 28/11/24



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द व वकील प्रतिवादी श्री जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तनकीआत के निर्णय के आधार पर तनकीआत के निर्णय के आधार पर वादी वादी साबित करने में सफल रहा अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का 9 केएसपी की दैनिक डायरी दिनांक 13.05.2015 के अनुसार चक 9 केएसपी के खाता सं० 24/70 के प० न० 168/309 के किला न० 21/2/109, 22/2/110 कुल 219 है० कृषि भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जाए। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। व्यय वाद उभयपक्ष वादी/प्रतिवादी स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
पटवारी टिब्बी

